आयुक्त/अध्यक्ष महोदय
================

दिनांक 20.2.88 की मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही तैयार कर ली गयी है जिसे पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(यू० डी० चौबे)
सचिव,
मसूरी-देहरादून
वि०प्राधिकरण।

(प्रताप सिंह)
उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

25.2.88

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-02-1988 में माननीय सदस्यों की उपस्थिति :-

1- श्री एल०एस०पांगती, आयुक्त/~~अध्यक्ष~~ मंडलायुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी।

2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० ।

3- ~~सुश्री विभा पुरी~~ श्री उत्पल कुमार, जिलाधिकारी, देहरादून ।

4- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक । —— X X

5- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, आवास अनुभाग-1, लखनऊ ।

6- श्री एच०के०शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ ।

7- श्री ~~इम्ल्यू०एस०पाल, अधिशासी~~ ओ०पी०शर्मा अधीक्षण अभियन्ता सि०ख०वि०

8- श्री एन०बी०सिंह, जनरल मैनेजर, जि०उ०के०, देहरादून 20.2.88

9- श्री एस०पी०उनियाल, सक्षम प्राधिकारी, न०भू०सी०रो० —— X X

10- श्री आर०पी०सिंह, सचिव, दूनवैली विशेष वि०प्रा० । ——

11- श्री विनोद शर्मा, एस०डी०एम०, मसूरी

12- श्री के०के०शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20.2.88.

13- श्री बृज०बी०रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल वृत्त, दे०दून

14- श्री यू०डी०चौबे, सचिव, विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

15. श्री आई० जी० सिंह सं० निदेशक पर्यावरण उ०प्र०शासन 20.2.88

16. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल सं. सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन 20/2

17. " डी. एस. मनराल सं. सचिव प्र.वि. प्रा.

18. ए. सी. दुबे प्रशिक्षण अधिकारी भ. पा. देहरादून

19. के. एल. साह सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी 20/2

20 नरेन्द्र सिंह नेगी वन संरक्षक यमुना वृत्त देहरादून

21. पी. के. पाण्डे अधीक्षण अभियन्ता नवम मंडल जल निगम देहरादून

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.2.88 को प्राधिकरण कार्यालय में हुयी बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

1-श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त गढ़वालमण्डल ---अध्यक्ष

2-श्री प्रताप सिंह ---उपाध्यक्ष

3-श्री एम0आर0कुकरेती, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून ---सदस्य

4-श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ---सदस्य

5-श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ । ---प्रतिनिधि सदस्य

6-श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून ---प्रतिनिधि सदस्य

7-श्री जी0सी0गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून--प्रतिनिधि सदस्य

8-श्री एन0 बी0एन0सिंह, सामान्य प्रबन्धक, जि0उ0के0, देहरादून- [redacted] सदस्य

9-श्री आई0पी0सिंह, मुख्य निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0शासन, लखनऊ ---प्रतिनिधि सदस्य

10-श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ । ---प्रतिनिधि सदस्य

11-श्री पी0के0पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून । ---प्रतिनिधि सदस्य

:-विशेष आमंत्रित:-

1-श्री ए0सी0दुबे, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

2-श्री बृज बी0रतन, सहयुक्त नगर नियोजक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून ।

3-श्री आर0पी0सिंह, सचिव, दूनवैली विशेष विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

4-श्री के0एल0साह, सहायक निदेशक, पर्यटन मसूरी ।

5-श्री विनोद शर्मा, परगनाधिकारी, मसूरी ।

6-श्री के0के0शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून ।

:-अन्य उपस्थिति:-

1-श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

2-श्री डी0एस0मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

319

दिनांक 20.2.88 की मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।

सर्वप्रथम पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी व निम्नलिखित विचार विमर्श हुआ तथा निर्देश दिये गये :-

﴾1﴿ गांवसभाओं की भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने व पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण श्री एम0आर0कुकरेती कार्यवाहक जिलाधिकारी द्वारा द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि गांव सभा की भूमि पर परगनाधिकारी के अनुमोदन से पट्टे देने के लिये गांव सभा सक्षम है। इस पर उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि उ0प्र0 नगर नियोजन व विकास अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही पट्टे दिये जा सकते हैं। अतः जिस भूमि पर पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है, उसका भू-उपयोग पहले प्राधिकरण से पता कर लिया जाय । राजस्व विभाग व प्राधिकरण कार्यालय के बीच इस कार्य में समन्वय जरूरी है क्योंकि पट्टे के अलावा भवन बनाने के लिये मानचित्र की स्वीकृति भी आवश्यक है।

﴾2﴿ यह सुनिश्चित करने के लिये कि गांव सभाओं द्वारा पट्टे उसी भूमि पर दिये जायं जिसका भू-उपयोग आवासीय निर्धारित है और नदियों के किनारे अनधिकृत बस्तीयां न बने। प्राधिकरण के अभियन्ता व राजस्व विभाग के लेखपाल पहले रिस्पना नदी के किनारे के क्षेत्र व फिर बिन्दाल व अन्य नदी नालों के किनारे स्थित भूमि का मास्टर प्लान की दृष्टि से सर्वेक्षण कर उन स्थानों का चयन करेंगे जहां आवासीय भवन बनाये जा सकते है। ऐसी भूमि को प्राधिकरण द्वारा अध्याप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। संयुक्त सचिव इस कार्य को अपने नेतृत्व में सम्पादित करेंगे । (कार्यवाही संयुक्त सचिव एम.डी.डी.ए. एवं तहसीलदार देहरादून)

﴾3﴿ गांव सभाओं की भूमि पर महायोजना के विपरीत बन रहे अनधिकृत मकानों को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग करेंगे। मेहूवाला में ऐसे निर्माणों की सूचना उन्हें दी गयी है। कांवली व नदियों के किनारे अन्य स्थानों पर गांव सभा की भूमि पर भी अतिक्रमण होने बताये गये ।

﴾कार्यवाही जिलाधिकारी﴿

-3--

(321)

(4) ग्रामीण आवादी के चारों ओर लाल डोरा खीचने की कार्यवाही में मानचित्रों की प्रतियां मिलने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुयी क्योंकि इन गांवों के 1359 व 1382 फसली के खसरे तहसील में उपलब्ध नहीं हो पाये। श्री कुकरेती कार्यवाहक जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि ये खसरे शीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेगे। श्री आर0पी0सिंह को उनसे सम्पर्क करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य हेतु 26/2/88 व 1/3/88 की तिथियां निश्चित की गयी ।

(कार्यवाही जिलाधिकारी व श्री आर0पी0सिंह)

(5) श्री कुकरेती ने अगली बैठक तक उन गांवों की सूची कारणों सहित उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जिन्हें प्राधिकरण की सीमा से हटाना उचित है।

(कार्यवाही श्री मस्त राम कुकरेती कार्यवाहक जिलाधिकारी)

(6) देहरादून की महायोजना को रेवेन्यू मानचित्र में दिखाने के लिये नजरा मानचित्रों की प्रतियां सयुक्त नगर नियोजक को दी जा चुकी हैं पर कई नक्शों को जोड़ना जरूरी है ताकि सही स्थिति प्रकट हो सके। अतः प्राधिकरण के सम्बन्धित पटवारी 15 दिनों तक उन्हें इस कार्य में सहायता देंगे ।

(कार्यवाही सहयुक्त नगर नियोजक/संयुक्त सचिव)

(7)

(अ) सम्पत्ति संख्या 69 व 71 राजपुर रोड़ के बारे में संशोधित विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने के लिये संयुक्त सचिव नगर विकास से अनुरोध किया गया । श्री चौबे या श्री मनराल लखनऊ जा कर इस मामले का अनुसरण करेंगे ।

(कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव)

(ब) अगली बैठक में इस स्थान पर केवल व्यावसायिक योजना चलाने के लिए ले आऊट व प्रोजैक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय

(कार्यवाही नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता)

(स) अन्य मामलों में भूमि अध्याप्ति के लिये भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर पर बार-बार आपत्तियां लगाने के कारण लम्बित पाये गये । श्री मनराल ~~एक-दिन-श्री-कुकरेती~~

एक दिन श्री कुकरेती के यहां बैठकर इन मामलों को आगे बढ़ायें। इसके साथ ही शासन को सीधे भी धारा 5 व 6 की विज्ञप्ति जारी करने के लिये प्रस्ताव भेज दिया जाय ताकि और अधिक विलम्ब न हो ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

॥8॥ चूँकि नगर नियोजक द्वारा प्राधिकरण के पूर्व निर्देशों के अनुसार भी मानचित्रों के निस्तारण का कार्य नहीं किया जा रहा है अतः उपाध्यक्ष द्वारा की गयी व्यवस्था को अनुमोदित किया गया ।

॥9॥ ड्रेनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुनर्गठन के लिये जल निगम द्वारा प्रस्तुत प्रोजैक्ट रिपोर्ट के परीक्षण हेतु गठित समिति की एकदो बैठकों की अध्यक्षता वरिष्ठ नगर नियोजक करेंगे ताकि समिति को समुचित मार्ग निर्देशन मिल सके ।

॥कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक॥

॥10॥ मसूरी में लायब्रेरी के पास कार पार्किंग का निर्माण 15 मई 1988 तक पूरा किया जाय। वन विभाग के प्रतिनिधि से कहा गया कि यहां पेड़ों के काटने की अनुमति दें दें व परगना मजिस्ट्रेट यहां से विद्युत विभाग को ट्रान्समीटर हटवा दें व अन्य सहायता प्रदान करें ।

॥कार्यवाही परगना मजिस्ट्रेट मसूरी/अधिशासी अभियन्ता/वन संरक्षक यमुना वृत्त॥

॥11॥ लण्डौर क्षेत्र में भविष्य में बस अड्डे के लिये उपयोग में आने वाली भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव सीधे शासन को भेजा जाय ।

॥कार्यवाही परगना मजिस्ट्रेट मसूरी॥

॥12॥ पिक्चर पैलेस के पास कार पार्किंग की इकानामिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता॥

॥13॥ नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित 12 मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कर अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता॥

॥14॥ नगर महायोजना में सड़कों की चौड़ाई के अनुसार सड़कों को प्रथम फेज में चौड़ा करने का व्ययानुमान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अगली बैठक से पूर्व भेजा जाय ।

॥कार्यवाही अधिक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0॥

॥15॥ संयुक्त सचिव नगर विकास ने सुझाव दिया कि देहरादून नगर में वर्तमान अव्यवस्थित आवागमन से उत्पन्न कठिनाईयों को देखते हुये एक ~~ट्रैफिक~~ ट्रैफिक पॉलिसी प्लान बनाया जाय व यह प्लान किसी कनसल्टैण्ट से बनाया जाय ॥उदाहरणार्थ सैन्ट्रल रोड़ रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहली, रुड़की विश्वविद्यालय का ट्रैफिक इन्जीनियरिंग डिवीजन, ऑपरेशन्स रिसर्च ग्रुप बड़ौदा आदि॥ उन्होंने बताया कि गाजियाबाद व मेरठ विकास प्राधिकरणों ने ऐसे प्लान बनवाये है और उनसे भी जानकारी की जाय कि उन्होंने किस एजेन्सी से ये प्लान बनवाये। सभी ~~सम्बन्धित~~ सम्बन्धित एजेन्सी से पूछताछ कर अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाय ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक/सचिव॥

॥16॥ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो बाईपास बनाया जा रहा है उसका अब तक हुये निर्माण व निर्माणाधीन भाग व एलाइनमेंट की जानकारी प्राधिकरण की अगली बैठक में दी जाय जिसमें यह भी बताया जाय कि इस बाई-पास के निर्माण पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ।

॥कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0॥

विषय क्रमांक :- 1 :-

गत बैठक की पुष्टि :-

पिछली बैठक दिनांक 5.12.87 के विषय क्रमांक-7 ॥श्री ओम सिंह चौहान के मामले का शमन॥ में लिये गये निर्णय में कतिपय संशोधन अंकितकरते हुये अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक दिनांक 5.12.87 के कार्यवृत्त की पुष्टि की व रजिस्टर में हस्ताक्षर किये गये ।

विषय क्रमांक :- 2 :-

1.12.87 से 31.01.88 तक भवन मानचित्र के निस्तारण की प्रगति का विवरण :-

॥अ॥ मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया व यह

(325)

निर्देश दिये गये कि चूँकि दो माह से अधिक लम्बित मानचित्रों की संख्या अधिक है अतः इनका निस्तारण 15 दिनों में किया जाय। मानचित्रों के लम्बित रहने का एक कारण यह बताया गया कि आवेदक बार-बार अपने निस्तारित मानचित्रों को पुनः खुलवा लेते है। संबंधित उप-विधि 2.11 का अवलोकन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अपनी पूर्व निस्तारित मानचित्र पत्रावली खुलवाने की सुविधा केवल एक बार ही दी जाय व उसके बाद उससे पुनः शुल्क लेते हुये नये सिरे से मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा जाय ।

--

॥कार्यवाही सचिव॥

॥ब॥ विकास शुल्क में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आय बहुत गिर गयी है क्योंकि अप्रैल 87 से विकास शुल्क बहुत कम कर दिये गये थे इतने कम विकास शुल्क से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना कठिन हो रहा है। चूँकि संशोधित विकास शुल्कों को एक वर्ष होने जा रहा है अतः उनके पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाय। यह प्रस्ताव तैयार करने के लिये एक समिति गठित की गयी :-

1- सचिव विकास प्राधिकरण - संयोजक
2- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक
3- अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून ।
4- जल निगम के देहरादून डिवजीन के अधिशासी अभियन्ता ।
5- परगना मजिस्ट्रेट, मसूरी ।
6- नगर नियोजक प्राधिकरण ।
7- सहयुक्त नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

॥कार्यवाही सचिव॥

॥स॥ प्रत्येक माह के अन्त में मानचित्रों के निस्तारण व विभिन्न कार्यों की प्रगति का प्रकाशन दो तीन स्थानीय समाचार पत्रों में भी किया जाय ताकि लोगों को प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी होती रहे ।

॥कार्यवाही सचिव॥

॥द॥ अगली बैठक में यह भी सूचना प्रस्तुत की जाय कि विकास शुल्क से कितनी आय हुयी। क्या-क्या विकास कार्य इसके अन्तर्गत किये गये व क्या-क्या विकास कार्य प्रस्तावित है ।

॥कार्यवाही सचिव॥

॥ध॥ अजबपुर कलां में निर्बल वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना के बारे में सहयुक्त नगर नियोजक ने यह शंका की कि मास्टर प्लान में यह भाग नदी की तलहटी दिखाया हुआ है जबकि नगर नियोजक का मत था कि यह क्षेत्र आवासीय है और मौके की स्थिति से भी नदी की तलहटी में नहीं है। दोनों नगर नियोजकों का यह स्पष्ट मत था कि इस स्थान पर निर्माण करने से फ्लैश फ्लड वाटर चोक नहीं होगा और यह निर्णय हुआ कि इस भाग का भू-उपयोग "रिवर बैड" से बदल कर आवासीय किया जाय व तद्नुसार शासन को संशोधन हेतु संस्तुति भेजी जाय । इस बीच इस भाग पर हडको से ऋण लेकर जो आवासीय योजना चलाने की कार्यवाही की जा रही है वह जारी रखी जाय। इसके साथ ही दोनों नगर नियोजक व अधिशासी अभियन्ता इस पूरी रिवर बैड का सर्वेक्षण कर उन भागों को छांट लेंगे जहां निर्माण किया जा सकता है और फ्लैश फ्लड वाटर के लिये भी कुछ भाग छोड़ देंगे। वे अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत करेंगे । नगर नियोजक इस सर्वेक्षण के संयोजक होंगे ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक/सहयुक्त नगर नियोजक॥
व अधिशासी अभियन्ता ।

॥च॥ मसूरी में लण्डौर में नव निर्मित बस स्टैण्ड पर बसें खड़ी करने के लिये आयुक्त/अध्यक्ष की ओर से प्रबंध निदेशक व क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र भिजवाया जाय ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक :-3:-

माल रोड़ पर लायब्रेरी से किलरैंस हाउस तक सड़क के दोनों ओर निर्माण की स्वीकृति न देने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की उप-विधियों में यह प्राविधान है कि माल रोड़ पर सड़क की दूनघाटी वाली तरफ सड़क से 4 मीटर नीचे तक निर्माण की अनुमति दी जा सकती है ताकि दूनघाटी का दृश्य अवरुद्ध न हो। माल रोड़ पर हिल साईड की ओर निर्माण पर प्रतिबन्ध नहीं है। सहयुक्त नगर नियोजक का सुझाव है कि माल रोड़ पर सड़क के मध्य से 6"6 मीटर व तत्पश्चात् पहाड़ की ओर अतिरिक्त 3 मीटर अतिरिक्त भाग वृक्षारोपण हेतु छुड़वाते हुये, जिसमें सैट बैक शामिल नहीं है, ॥अर्थात् मार्ग के मध्य से 9 मीटर पीछे॥ स्थलीय व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानचित्रों की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है ताकि माल रोड़ की सुन्दरता बढ़े व आवासीय व व्यवसायिक उपयोग हेतु भवनों का निर्माण भी हो सके । इस सुझाव पर मसूरी सेव सोसाईटी की ओर से श्रीमती गैन्जर के पत्र

में दिये गये सुझावों व उपाध्यक्ष तथा परगना मजिस्ट्रेट मसूरी की टिप्पणी पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माल रोड़ के वर्तमान सौन्दर्य व नैसर्गिक वातावरण को बनाने के उद्देश्य से इस मार्ग के दोनों ओर (लाइब्रेरी से क्लीयरैंस हाउस तक) किसी नये निर्माण की स्वीकृति न दी जाय। केवल वर्तमान भवनों के परिवर्तन व परिवर्धन की स्वीकृति पर गुणावगुण व उप-विधियों में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार विचार किया जा सकता है पर उससे भी माल रोड की वर्तमान स्थिति में प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि माल रोड़ के दोनों ओर जो प्राईवेट भूमि भवनों के निर्माण के लिये उपयुक्त है उसका परगना मजिस्ट्रेट सर्वेक्षण कर प्राधिकरण द्वारा उसकी अध्याप्ति हेतु कार्यवाही करें ताकि प्राधिकरण इस भूमि के समुचित विकास की योजना बना सके।

(कार्यवाही सचिव/नगर नियोजक व परगना मजिस्ट्रेट मसूरी)

मसूरी में बस स्टैण्ड से लाइब्रेरी की ओर आई0टी0बी0पी0 चैक पोस्ट तक दूनघाटी की ओर के क्षेत्र में कोई निर्माण न करने और इस भाग को वन के रूप में विकसित करने की सहयुक्त नगर निथोजक की संस्तुति को स्वीकार किया गया परन्तु इस क्षेत्र में हुसैनगंज में प्राधिकरण को नगरपालिका द्वारा स्थानान्तरित भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वर्तमान पेड़ों को कोई क्षति न हो। चूँकि इस प्रकार आवासीय योजना हेतु उपलब्ध स्थान कम हो जायेगा अतः इस योजना की इकानॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। इसके साथ हीआवासीय योजना हेतु मसूरी में अन्यत्र स्थान भी तलाश किया जाय।

(कार्यवाही नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता)

विषय क्रमांक :- 4 :-

श्री सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दर्शन लाल 197 अजबपुरकलां देहरादून द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण के मामले में प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त करने हेतु :-

प्राधिकरण ने निथत अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी विनियमित क्षेत्र, सचिव विकास प्राधिकरण व अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों व सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद यह निर्देश दिया कि पत्रावली में जो निर्णय

अवस्थित निर्णय हो चुका है उपाध्यक्ष उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।

विषय क्रमांक :- 5 :- ‡अ‡

परेडग्राउण्ड तथा रेन्जर्स कालेज के मध्य दूकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।

इस विषय पर विचार किया गया व नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण मानचित्र का अवलोकन किया गया। सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि चूँकि नगर नियोजक द्वारा नगर के निकट अजबपुर में ही एक अच्छे स्टेडियम के निर्माण की योजना बनायी जा रही है और इसके लिये तैल और प्राकृतिक गैस आयोग से भी धन मिल सकता है अतः इस विषय पर अभी निर्णय स्थगित रखा जाय। अजबपुर में स्टेडियम निर्माण की प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गयी जो अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

1- नगर नियोजक - संयोजक ।

2- सहयुक्त नगर नियोजक ।

3- श्री आर०सी० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि० ।

4= सार्वजनिक निर्माण विभाग इस स्थान पर बाईपास का एलाइनमैंट इस प्रकार तैं करेगा ताकि यह स्टेडियम प्रभावित न हो ।

‡कार्यवाही नगर नियोजक‡

विषय क्रमांक :-5:-‡ब‡

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5.12.87 की कार्यवाही के प्रस्तर-5 ‡स‡ के अन्तर्गत पैवेलियन के समीप वर्तमान में खड़ी हो रही बसों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु गठित की गयी समिति की बैठक दिनांक 20.1.1988 की कार्यवाही :-

निर्णय

इस विषय पर भी निर्णय तब तक के लिये स्थगित किया गया जब तक कि अजबपुर में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय न हो जाय ।

विषय क्रमांक :- 6 :-

पशु शव उपयोग केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम कुल्हान ‡सहस्त्रधारा‡ में निर्माण की अनुमति दिये जाने से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार ।

पर्यावरण विभाग का मत था कि यद्यपि पशु शव उपयोग केन्द्र से

प्रदूषण नहीं होता है परन्तु सहस्त्रधारा रोड़ के किनारे होने से मृत पशुओं को लाने ले जाने वाली गाड़ियों के आवागमन से पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फिर बिजली बन्द होने की दशा में बदबू बाहर तक आने की सम्भावना है। यहां इस प्रकार का केन्द्र बनाने पर पहले भी लोगों ने विरोध किया था। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि इस केन्द्र की अनुमति की स्थापना नहीं दी जा सकती है। संबंधित विभाग इस भूमि को बेचकर इसके बदले सीवेज फार्म बनाने वाले क्षेत्र में भूमि ले सकते हैं ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक :- 7 :-

भूउपयोग परिवर्तन शुल्क की प्रभावी तिथि नियत करने हेतु आशय स्पष्ट करने हेतु विचारार्थ प्रकरण ।

इस विषय पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त व शासनादेश दिनांक 12.8.86 का अवलोकन करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि इस शासनादेश में निहित परिवर्तन शुल्क सम्बन्धी प्राविधान प्राधिकरण की दिनांक 24.9.86 की बैठक में अंगीकृत किये गये थे अतः इससे पूर्व स्वीकृत मानचित्रों पर बाद में परिवर्तन शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक :- 8 :-

इलनवाला आवासीय योजना में दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के बढ़े हुये विकास व्यय के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर दी गयी सूचना का अवलोकन करने के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि अल्प आय वर्ग व निर्बल आय वर्ग के मकानों के निर्माण की योजना पर भूमि के मूल्य व विकास कार्यपर अधिक व्यय के कारण बढ़ी हुयी लागत 12.39 लाख व 9.84 लाख रू० को क्रमशः एच०आई०जी० व एम०आई०जी० योजना में समायोजित किया जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अधियन्ता॥

337

विषय क्रमांक :- 9 :-

कांवली में बस स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल को परिवर्तन करके आवासीय में नियत करना ।

इस विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

विषय क्रमांक :- 10 :-

नगरपालिका देहरादून द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक योजना के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग व स्थल की स्थिति को देखते हुये नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत योजना का परीक्षण निम्नलिखित समिति करें और अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

1- नगर नियोजक

2- सहयुक्तनगर नियोजक

3- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून -----संयोजक ।

॥कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ॥

विषय क्रमांक :- 11 :-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1988-89 का प्रस्तावित बजट अनुमोदन हेतु संलग्न प्रस्तुत है ।

बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया और निर्देश दिये गये कि विकास शुल्कों का पुनरीक्षण होने पर आय का पुनरीक्षण अनुमान लगाया जाय व हडको के अलावा शासन से भी आवासीय योजना हेतु ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जाय । संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन श्री शंकर अग्रवाल ने कहा कि विकास शुल्क मद में भी आय बढ़ाने की कार्यवाही की जाय ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक :- 12 :-

30-सी मोहिनी रोड में उपलब्ध होने वाली भूमि पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का निवास स्थान बनाये जाने हेतु प्रस्ताव ।

(339)

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि सीलिंग से उपलब्ध हो रही भूमि पर उपाध्यक्ष/सचिव का आवास निर्मित किया जाय और इस भूमि के साथ लगी हुयी शेष 1800 वर्ग मीटर भूमि को उचित मूल्य पर लेने हेतु अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर लिया जाय। भूमि का मूल्य प्राधिकरण हित में कम करवाने का प्रयास किया जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

अनुपूरक विषय क्रमांक :- 1 :-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नगरपालिका का निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

"नगर का तमाम कूड़ा गिराने के लिये पालिका के पास इस समय कोई स्थान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु उपलब्ध नहीं है जिस कारण इस समय कूड़ा सहारनपुर रोड, लालपुल के पास नदी में गिराया जा रहा है जिस पर विभागीय तथा जनता की आपत्तियां हैं कि खुला कूड़ा डालने से बीमारियाँ उत्पन्न होने का भय है। इस प्रकार कूड़ा गिराने से कूड़े ~~अकार्बनिक-खाद~~ का प्रयोग खाद के रूप में नहीं हो सकता है और पालिका को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस दृष्टि से पालिका को एक ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की आवश्यकता है जिसके लिये ग्राम अजबपुर कलां ॥रिस्पना नदी॥ में खसरा नम्बर 203 एवं खसरा नं0 824 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 3.49 एकड़ एवं 15.67 एकड़ ॥कुल योग 19.16 एकड़॥ भूमि उपलब्ध है।"

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि ट्रैन्चिंग ग्राउण्ड के लिये उक्त भूमि उपलब्ध करायी जाय।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त हुयी।

॥यू0 डी0 चौबे॥ सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।	॥प्रताप सिंह॥ उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्रा0, देहरादून।	॥एस0एस0पांगती॥ अध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

24.5.88